

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी. सी.-12 वी., विश्रुति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक : H24045 /32/2018

दिनांक : 26-07-2018


कार्यालय आदेश

लाल श्रेणी के उद्योगों के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति अवधि की वैधता के संबंध में दिए गए निर्देशों एवं राज्य में उद्योगों हेतु सरलीकृत व्यवस्था को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से दिनांक-26 जुलाई, 2018 को सम्पन्न हुई बोर्ड की 101वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-101.06 पर स्वीकृति प्रदान की गई। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत की जाने वाली संचालन सहमति की वैधता को एतद्वारा 02 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष किया जाता है।

उपरोक्तानुसार उद्योगों से ऑन-लाइन सहमति आवेदन-पत्र, निर्धारित शुल्क के साथ अधिकतम अवधि हेतु प्राप्त होने पर, सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त उपरोक्तानुसार अंकित अधिकतम अवधि हेतु सहमति आदेश ऑन-लाइन निर्गत किया जायेगा।

उक्त वर्णित कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित इकाई का समय-समय पर अनुश्रवण किया जायेगा व सहमति शर्तों की अवहेलना की स्थिति में सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत सहमति खण्डित भी की जा सकती है।


उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

पू0सं0 एवम् दिनांक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक।
- 2- अधिशासी निदेशक, उद्योग बंधु, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
- 4- समस्त नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी(प्रभारी)।
- 5- वेब मास्टर, बोर्ड मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने हेतु।
- 6- गार्ड फाईल।


(डा0 अखलाक हुसैन)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0)